प्रेस नोट
दिनांक 13.02.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी करने के 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, उनके कब्जे से चोरी की 14 जोड़ी पायल, 55 अदद बिछुवा, 30 अदद अंगूठी, 02 आधार कार्ड, 01 अदद मोबाइल व 5000 रुपया नकद बरामद-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्व श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0 - 48/24 व 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. अरविन्द कुमार वर्मा 02. नूर मोहम्मद उर्फ राजा 03. चांद बाबू को निर्माणाधीन पंचायत भवन बहद ग्राम अयाह थाना इटियाथोक से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 14 जोड़ी पायल सफेद धातु, 55 अदद बिछुवा सफेद धातु, 30 अंगूठी सफेद धातु, 02 आधार कार्ड, 01 अदद मोबाइलव 5000 रुपया नकद बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री विजय सोनी पुत्र शिवराम सोनी निवासी ग्राम इटियाथोक बाजार थाना इटियाथोक गोण्डा ने दिनांक 06.02.2024 को व वादी श्री कृष्ण कुमार सोनी द्वारा दिनाकं 11.02.2024 थाना इटियाथोक पर सूचना दिया कि अज्ञात चोर द्वारा हम लोगो के ज्वेलर्स की दुकान से चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में क्रमशः मु0अ0सं0 - 48/24 व 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 13.02.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्तों-01. अरविन्द कुमार वर्मा 02. नूर मोहम्मद उर्फ राजा 03. चांद बाबू को निर्माणाधीन पंचायत भवन बहद ग्राम अयाह थाना इटियाथोक से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 14 जोड़ी पायल सफेद धातु, 55 अदद बिछुवा सफेद धातु, 30 अंगूठी सफेद धातु, 02 आधार कार्ड, 01 अदद मोबाइलव 5000 रुपया नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र रामसुन्दर वर्मा निवासी ग्राम कर्मडीहकला दर्जीजोत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
02. नूर मोहम्मद उर्फ राजा पुत्र अब्दुलगनी निवासी ग्राम कर्मडीहकला दर्जीजोत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
03. चांद बाबू पुत्र मो0 अली निवासी ग्राम कर्मडीहकला दर्जीजोत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

गिरफ्तारी का स्थान

निर्माणाधीन पंचायत भवन बहद ग्राम अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 - 48/24, धारा 457, 380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा।
02. मु0अ0सं0 - 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा।

बरामदगी-

01. 14 जोड़ी पायल सफेद धातु,
02. 55 अदद बिछुवा सफेद धातु,
03. 30 अंगूठी सफेद धातु,
04. 02 आधार कार्ड,
05. 01 अदद मोबाइल,
06. चोरी से सम्बन्धित 5000 रुपया नकद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. उ0नि0 कामेश्वर राय
03. हे0का0 अजय कुमार
04. हे0का0 आशुतोष पाण्डेय
05. का0 धमेन्द्र कुमार
06. का0 अम्बरीष पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनाकं 13.02.2024

आज दिनांक 13.02.2024 को समय करीब 12.40 बजे थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम महोलीखोरी में आस-पास के दो पक्षों के मध्य फायरिंग की घटना घटित हुई थी जिसमें एक पक्ष के 06 लोग घायल हुए थे घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक घायल महिला उम्र लगभग 60 वर्ष की रास्ते में मृत्यु हो गयी। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर घटना स्थल में पहुँचकर घटना स्थल की जांच की गयी। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के मध्य रास्ते में टीनशेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें गब्बर उर्फ राजू यादव पुत्र रामफेर यादव नि० महुली खोरी थाना छपिया द्वारा अपने साथियों के साथ आकर रामदेव जायसवाल जिनके यहां शादी का कार्यक्रम था पर फायरिंग की गयी थी। जिसमें कुल 06 घायल-(रामदेव उम्र 40 वर्ष, दीपक उम्र 23 वर्ष, कुमारी पिंकी उम्र 17 वर्ष, सत्यम उम्र 18 वर्ष, कुमारी लक्ष्य उम्र 13, झिनपता उम्र 60 वर्ष (मृतका)) हुए थे। घायल महिला झिनपता को अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। शेष 05 घायलों को जिला अस्पताल गोण्डा में समुचित ईलाज हेतु भर्ती कराय कराया गया था जिसमें घायल 01. रामदेव पुत्र प्रीतिराज 02. दीपक पुत्र बाबू को डाक्टर द्वारा मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा नामजद मुख्य आरोपी अभियुक्त 01. गब्बर उर्फ राजू यादव व उसका साथी 02. राजकुमार यादव उर्फ किन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु महोदय द्वारा 05 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष छपिया व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस को निर्देशित किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनाकं 13.02.2024

जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के संबंध में सेक्टर/ स्टेटिक मजिस्ट्रेटो, पुलिस अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये -

जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार गोण्डा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा दिनाकं 17.02.2024 से 18.02.2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक किया गया। उक्त परीक्षा जनपद गोण्डा में दिनांक 17/18.02.2024 को निर्धारित 25 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में संपन्न कराई जाएगी जिसमे प्रति पाली में 11,304 परीक्षार्थी सम्मलित होगे। । उक्त तिथियों में आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गयी तथा परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया।
मीडिया सेल, गोण्डा।